

बिहार सरकार
स्वास्थ्य विभाग

अधिसूचना

पटना, दिनांक 22/01/2015

अधिसूचना संख्या-2/एम-3/2014- 114(2) /स्वा०, बिहार राज्य स्वास्थ्य संवर्ग के चिकित्सा पदाधिकारी डा०(श्रीमती) सीमा सिंह को संक्रामक रोग अस्पताल, अगमकुआँ, पटना से स्थानान्तरित करते हुए सिविल सर्जन, पटना के अधीन पदस्थापित किया जाता है ।

2. माननीय लोक अदालत द्वारा सी०डब्लू०जे०सी० सं०-19067/2014 में दिनांक-6.12.14 द्वारा पारित आदेश के आलोक में डॉ० (श्रीमती) सिंह को दिसम्बर 2014 तक के बकाये वेतन का भुगतान छः सप्ताह के अन्दर किये जाने का निदेश है ।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,

ह०/-

(शेखर चन्द्र वर्मा)

सरकार के संयुक्त सचिव

पटना, दिनांक 22/01/2015

ज्ञापांक-2/एम-3/2014- 114(2)

प्रतिलिपि, अधीक्षक सचिवालय मुद्रणालय, गुलजारबाग, पटना/गजट कोषांग वित्त विभाग, बिहार, पटना को बिहार राजपत्र के असाधारण अंक में प्रकाशनार्थ प्रेषित ।

प्रतिलिपि, महालेखाकार, बिहार, वीरचन्द्र पटेल पथ, पटना/वित्त(वै०दा०नि०को) विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित ।

प्रतिलिपि, प्रमंडलीय आयुक्त, पटना/क्षेत्रीय उपनिदेशक स्वास्थ्य सेवाएँ, बिहार, पटना/अधीक्षक, संक्रामक रोग अस्पताल, अगमकुआँ, पटना / कोषागार पदाधिकारी, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित ।

प्रतिलिपि, सिविल सर्जन, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित ।

माननीय लोक अदालत द्वारा पारित आदेश के आलोक में डॉ० (श्रीमती) सिंह के बकाये वेतनादि का भुगतान अविलंब सुनिश्चित करते हुए विभाग को सूचित किया जाय ।

प्रतिलिपि, डा०(श्रीमती) सीमा सिंह संक्रामक रोग अस्पताल, अगमकुआँ, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित ।

प्रतिलिपि, प्रधान सचिव, स्वास्थ्य के आप्त सचिव/निदेशक प्रमुख, स्वास्थ्य सेवाएँ/अपर सचिव के निजी सहायक/संयुक्त सचिव के निजी सहायक/विभागीय प्रशाखा पदाधिकारी 2, 3, 7, 9 एवं 17/कम्प्यूटर कोषांग, स्वास्थ्य विभाग को सूचनार्थ प्रेषित ।

सरकार के संयुक्त सचिव